

कार्यालय कलेक्टर रायपुर

ज्ञापन

कमोंक 74/ भू अर्जन/2017
प्रति,

रायपुर दिनांक 10.1.2018

- 298
11/1/18
- 1:- प्रभारी अधिकारी (नगररात शाखा)
जिला कार्यालय रायपुर
 - 2:- अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) आरंग
 - 3:- प्रभारी अधिकारी (N.I.C)जिला कार्यालय रायपुर
 - 4:- तहसीलदार आरंग

विषय :- नरदहा - दोदेंकला मार्ग निर्माण हेतु सामाजिक सामाघात प्रबंधन- रिपोर्ट का प्रकाशन के संबंध में ।

-00000-

भूमि अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार(सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई नियम 2016 के तहत गठित दल द्वारा नरदहा - दोदेंकला मार्ग निर्माण हेतु ग्राम नरदहा की भूमि कुल खसरा नं0 08 का कुल रकबा 0.44 हे0भूमि अधिग्रहण के संबंध में सामाजिक सामाघात प्रबंधन/ रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति सलंगन है। जिसका प्रकाशन छ.ग. शासन की वेबसाइट ग्राम / वार्डों में सहजदृश्य स्थानों पर चस्पा कर प्रकाशित करने, मुनादी कराने एवं जिला कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार कार्यालय पर प्रकाशन किया जाना है।

अतः अपने क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक समाघात प्रबंधन/ रिपोर्ट का प्रकाशन करा जाकर उसकी एक प्रति भेजना सुनिश्चित किया जावे ।
सलंगन- उपरोक्तानुसार

कलेक्टर,

रायपुर(छ.ग.)
रायपुर दिनांक 10.1.2018

कमोंक 74/ भू अर्जन/2017
प्रतिलिपि :-

कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सडक) विधान सभा संभाग रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर,

रायपुर(छ.ग.)

सामाजिक सामाघात प्रबंधन/रिपोर्ट

रायपुर कलेक्टर के ज्ञाप क्रमांक 1066/भू - अर्जन/2017 एवं 6811/भू-अर्जन/2016, रायपुर दिनांक 04/07/2017 के अनुसार भूमि - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक सामाघात निर्धारण, सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के अंतर्गत, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधान सभा संभाग रायपुर जिला रायपुर द्वारा ग्राम नरदहा तहसील आरंग में नरदहा दोर्देकला मार्ग निर्माण हेतु कुल खसरा 8 का रकबा 0.44 हे. निजी भूमि भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है। परियोजना हेतु समाघात - सामाजिक समाघात दल का गठन किया गया है एवं भूमि अर्जन के अनुकल्पों पर एवं कमी करने के उपाय पर विचार किया गया किन्तु भूमि अनुकल्प नहीं पाये गये। जनसुनवाई तथा अन्य बैठकों द्वारा सामाजिक क्षति ज्ञात की गई।

क्र.	खसरा नं.	भू स्वामी	अर्जित हेतु रकबा (हे.)
1	737	दिनेश	0.15
	730		0.08
2	781	प्रदीप	0.09
3	782	पुरुषोत्तम	0.01
4	1207/2	किरण	0.03
5	1207/3	आर.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर	0.03
6	1207/4	एस.के. गुप्ता	0.02
7	1207/5	आर.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर	0.03
कुल			0.44

भू - अर्जन के लिए अर्जित की गई भूमि प्रभावित व्यक्तियों के जीविका का आंशिक स्रोत है एवं भूमि भी आंशिक प्रभावित है। इस परियोजना से किसी भी प्रकार की सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षति नहीं हुई है, इस हेतु किसी प्रकार की सामाजिक सामाघात प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है।

प्रभावित भूस्वामि जिसके जीविका आंशिक स्रोत को क्षति हुई है, जिनका आर्थिक सहयोग, उन्हें निचयानुसार भू - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार के तहत मुआवजा उपलब्ध कराया जाना है।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष - श्री सुनील कुमार, जनपद सदस्य नरदहा
तहसील आरंग
जनपद पंचायत आरंग
जिला-रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष

सदस्य - श्री सुनील राठौर (पुरुष), गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक
हेल्प एण्ड हेल्पस समिति

हस्ताक्षर

सदस्य - श्रीमती प्रेमलता वर्मा (महिला),
सरपंच ग्राम नरदहा, तहसील आरंग
ग्राम पंचायत नरदहा
वि.खं.आरंग, जि.रायपुर (छ.ग.)

हस्ताक्षर

सदस्य - श्री फैयाज हुसैन (पुरुष)
(सेवा निवृत्त नायाब तहसीलदार),



हस्ताक्षर

सदस्य - श्री नेहरुल नाहरवरी (पुरुष),
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत आरंग

हस्ताक्षर
तहसीलदार